न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/210

दुर्गालाल आत्मज छीतर जाति चमार निवासी गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 17.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने ग्राम मांगली की आराजी खसरा नम्बर 719/235 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियम –9 राज0 भू–राजस्व (कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र) नियम 2007 के औद्योगिक राईस मिल हेतु अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय में संपरिवर्तन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.06.2019 के द्वारा आवेदित भूमि की दूरी आबादी से 1.5 कि0मी0 से कम होने के आधार पर प्रार्थी का संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । दिनांक 25.04.2019 को जारी पत्र में तहसीलदार बून्दी के द्वारा भी वादग्रस्त आराजी के बाबत् रूपान्तरण हेतु अनुशंसा जारी की गई है इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । राजपत्र दिनांक 16.03.2018 में उद्योगों की केटेगिरी निर्धारित की गई है जिसमें राईस मिल को ग्रीन केटेगिरी में निर्धारित किया गया है । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.04.2016 में भी राजस्थान सरकार द्वारा भू–राजस्व रूपान्तरण अधिनियम, 2007 की धारा 4 सी में स्पष्ट रूप से अंकन किया है कि डेढ किलोमीटर से अधिक आबादी की दूरी प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपने खाते की आराजी भू– रूपान्तरण औद्योगिक हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था तथा समस्त दस्तावेज पेश किये गये थे । सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति भी मांगी गई । समस्त विभागों से अनापत्ति आने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2019 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । तहसीलदार बून्दी के द्वारा भी वादग्रस्त आराजी के बाबत् रूपान्तरण हेतु अनुशंसा जारी की गई है । अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों की अवहेलना की है । केन्द्रीय प्रदूषण नियम बोर्ड के नियम 2012 को अनदेखा किया गया है । इस नियमावली के नियम 10.3 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि राईस मिल संपरिवर्तन में एक किलोमीटर की दूरी होना चाहिए जो कि प्रकरण में मौजूद थी । हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अंकित की गई है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने नियमों के आधार पर ही डेढ किलोमीटर दूरी अनिवार्य मानकर संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । राजपत्र दिनांक 16.03.2018 में उद्योगों की केटेगिरी निर्धारित की गई है जिसमें राईस मिल को ग्रीन केटेगिरी में निर्धारित किया गया है । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.04.2016 में भी राजस्थान सरकार द्वारा भू–राजस्व रूपान्तरण अधिनियम, 2007 की धारा 4 सी में स्पष्ट रूप से अंकन किया है कि डेढ किलोमीटर से अधिक आबादी की दूरी प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है । डेढ किलोमीटर से कम की दूरी होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने [illegible] किया गया था । पत्रावली में दिनांक 25.04.2019 का [illegible]

जिसमें संपरिवर्तन की अनुशंसा की गई है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आराजी को आबादी से 01 किलोमीटर दूर बताया बताया है । जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 का पत्र दिनांक 09.05.2019 संलग्न है जिसमें संपरिवर्तन पर अनापत्ति व्यक्त की गई है । जिला उद्योग केन्द्र बून्दी के पत्र दिनांक 27.05.2019 में भी संपरिवर्तन की अनुशंसा की गई है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.06.2019 से डेढ किलोमीटर से कम दूरी के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थी का रूपान्तरण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के आदेश दिनांक 16.03.2018, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.04.2016 और केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की गाईड लाईन की फोटो प्रति पेश की हैं । प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा राईस मिल की स्थापना हेतु संपरिवर्तन कराया जा रहा है जिसके लिए डेढ किलोमीटर की दूरी आवश्यक नहीं है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा